स्पीड पोस्ट से।

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

सं0 केआरबी/3/2011/एसटीजीआईएच/डीईएलएएएल/RU-III

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली—110003
6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
25-07-2011
Dated ....25-7-2011.........

सेवा में,

मुख्य सचिव,
झारखण्ड सरकार,
रांची, झारखण्ड

विषय: सीसीएल प्रबंधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों (टाना भगतों) की जमीन पर जबरन कोयला खदान खोलने के सबंध में श्री कौलेश्वर टाना भगत एवं अन्य निवासी जिला चतरा का संयुक्त अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 23-02-2011 (पत्र की छायाप्रति संलग्न है) के साथ श्री कौलेश्वर टाना भगत एवं अन्य द्वारा आयोग को सम्बोधित संयुक्त अभ्यावेदन दिनांक 21-02-2011 की छायाप्रति संलग्न करते हुए जिला कलेक्टर, चतरा (झारखण्ड) को आवश्यक कार्रवाई करने एवं रिपोर्ट आयोग को 30 दिनों की अवधि में भेजने के लिए अनुरोध किया गया था। जिलाधिकारी कार्यालय से इस मामले में कृत कार्रवाई संबंधित कोई उत्तर/रिपोर्ट आयोग को प्राप्त नहीं होने पर डा. रामेश्वर उरांव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा मामले के निष्पादन हेतु प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार की उपस्थिति/पेशी दिनांक 10-06-2011 को अपराह्न 3.30 बजे आयोग में निश्चित की गयी थी तद्नुसार प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड को आयोग द्वारा पत्र दिनांक 31-05-2011 भेजा गया। पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

आपको अवगत कराया जाता है कि आयोग द्वारा निश्चित की गयी उक्त तिथि के बावजूद भी प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आयोग में उपस्थित नहीं हुए है तथा न ही अनुपस्थित रहने संबंधी कोई जानकारी/सूचना आयोग को भेजी गयी है। आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रधान सचिव के इस व्यवहार को गंभीरता से लिया है और इस मामले के निपटान हेतु पुनः उक्त अधिकारीगण को दिनांक 10-08-2011 को 11.30 बजे पूर्वाह्न आयोग में पेश होने का निर्णय लिया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त संबंधित (प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) अधिकारी को दिनांक 10-08-2011 को 11.30 बजे पूर्वाह्न मामले से संबंधित सभी मूल दस्तावेजों/कागजातों सहित आयोग में उपस्थित होने के लिए निर्देश देवें। इस संबंध में उपस्थित होने बाबत् पूर्व सूचना भी आयोग को देने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आदित्य मिश्रा)
संयुक्त सचिव

5218-21
26/7/11

जारी किया
ISSUED

-2-

Tel. : 011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax : 011-24604689, 011-24624191

प्रति :-

1. प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचनार्थ
2. उपायुक्त / जिला समाहर्ता, जिला-चतरा, झारखण्ड को आवश्यक कार्रवाई हेतु
3. प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम/अनुवर्ती कार्रवाई हेतु :-अनंसुधान अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची को ।
4. श्री कौलेश्वर टाना भगत, ग्राम-जमुनिया टांड, भण्डार गढ़हा (टमरस टांड), टण्डवा प्रखण्ड, जिला चतरा (झारखण्ड) को सूचनार्थ

के०डी० बन्सौर

(के.डी. बन्सौर)

उप निदेशक

प्रति सूचनार्थ -

(i) अध्यक्ष के नीजि सचिव / वैयक्तिक सहायक
(ii) संयुक्त सचिव के नीजि सचिव
(iii) उपनिदेशक (आर.यू.-III)
(iv) एस.एस.ए. (NIC)